संख्या-49/2026/I/1275307/2026/71-1002(002)/47/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं हेतु 100 सीटेड मैरिड नर्सेज छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2025-26/673, दिनांक 14.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं हेतु 100 सीटेड मैरिड नर्सेज छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार रू0 750.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-116/2024/1/715785/2024/71-1002(002)/47/2021, दिनांक 13.08.2024 द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं हेतु 100 सीटेड मैरिड नर्सेज छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 3031.35 लाख के सापेक्ष रू0 247.525 लाख तथा शासनादेश संख्या-59/2025/I/913576/2025/71-1002(002)/47/2021, दिनांक 22.03.2025 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1060.9725 लाख, इस प्रकार कुल रू0 1308.4975 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है तथा परियोजना हेतु रू0 1722.8525 लाख की धनराशि अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं हेतु 100 सीटेड मैरिड नर्सेज छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-43-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष देय धनराशि रू0 250.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-789-14- राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मानक

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना हेतु रू0 500.00 लाख, इस प्रकार कुल **रू0 750.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एंव विशिष्टियों से प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-116/2024/1/715785/2024/71-1002(002)/47/2021, दिनांक 13.08.2025 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054300 मेडिकल कालेज गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037891400 राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।